न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/131/2019

उनवान

1. बंशी लाल पिता सार्दुल ढोली निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती श्रवणी पत्नी मथुरा ढोली निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. भागुती पुत्री मथुरा ढोली निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. गीता पुत्री मथुरा ढोली निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती लाड देवी पत्नी सम्पत खटीक निवासी मालीखेडा (कोटडी) तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 223/2018 निर्णय दिनांक 21.5.2019

अधिवक्तागण :—

1. श्री सूरज सनाढ्य , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश जैन,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीया /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात ग्राम सुरास तहसील कोटडी में आराजी संख्या 1611 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 1613 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1621 रकबा 11 बिस्वा,आराजी नम्बर 1622 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1623 रकबा 05 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 2/3 हक हिस्सा निहित है। तथा प्रार्थीया को अपनी आराजी नम्बर 1621 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1622 रकबा 126 बिस्वा, आराजी नम्बर 1623 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1613 रकबा 15 बस्वा पर काश्त हेतु आने जाने बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल अवेरने हेतु रास्ता आबादी भूमि की आराजी संख्या 1636 में स्थित रास्ते से होकर ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1624 रकबा 09 बिस्वा, भूमि की दक्षिणी पूर्वी दिशा की मेड से होते हुए प्रार्थीया खातेदार अपनी आराजी नम्बर 1623, 1622, 1621, 1613 में आते जाते रहे हैं।

2. आराजी संख्या 1624 रकबा 09 बिस्वा जो कि बंशी लाल पिता सार्दुल ढोली, श्रवणी पत्नी मथुरा ढोली, भागुती पुत्री मथुरा ढोली, गीता पुत्री मथुरा ढोली, निवासियान सुरास तहसील माण्डल के नाम पर जर्द है आराजी नम्बर 1624 में दक्षिणी पूर्वी दिशा की मेड पर 20 फिट चौडाई का रास्ता है जो अत्यान्तिक आवश्यकता का रास्ता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है और वे आये दिन रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रास्ते को बंद करने पर आमादा है। प्रार्थीया की आराजियात में आने जाने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क अ ब से दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रार्थीया की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 से 4 से सहमति से रास्ता लेने हेतु प्रयास किया परन्तु प्रार्थीया सफल नहीं हो पाई। प्रार्थीया न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मुआवजे की राशि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थीया खातेदार अपनी आराजी नम्बर 1623, 1622, 1621, 1613 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1624 में दक्षिणी पूर्वी दिशा की मेड पर 20 फिट चौडाई का रास्ता खुलासा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे प्रार्थीया निर्धारित मुआवजे की राशि जमा कराने को तत्पर है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण में जो वैधानिक कार्यवाही की है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत नहीं की गई है। क्योंकि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.9.2018 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 नियत की गई। दिनांक 27.9.2018 को प्रतिवादीगण को जारी नोटिस में तारीख पेशी दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

23.10.2018 को काटकर तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 अंकित की गई है। जिस पर कांट छांट के उपरान्त सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 23.10.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 30.10.2018 तारीख पेशी दी गईं । दिनांक 30.10.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 नियत की गई है। दिनांक 27.9.2018 को जारी सम्मन में तारीख पेशी दिनांक 15.1. 2019 कैसे अंकित की गई जबकि आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 नियत की गई थी। यह कांट छांट संदेहास्पद है। दिनांक 27.9.2018 को जारी सम्मन की यदि तामील नहीं होती तो पुनः तारीख पेशी पर आगामी तारीख पेशी का अंकन करते हुए सम्मन जारी किये जाने चाहिये थे। अपीलार्थीगण/विपक्षीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाये इसलिए सम्मन में कांट छांट की गई थी। इस प्रकार असम्यक तामील के बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रार्थीगण की मिलीभगत से जारी किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की भी विपक्षीगण को प्रोपर रूप से तामील नहीं कराई गई है। विपक्षीगण गीता, भागुती, श्रवणी पिता मथुरा की तामील को देखें तो अपीलार्थी संख्या 2 से 4 से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार अपीलार्थीगण/विपक्षीगण का रिश्ता है। अपीलार्थी संख्या 2 से 4 कहॉ पर गये हुए थे । उनकी प्रोपर तामील क्यो नहीं हो पाई थी। विपक्षीगण को जारी सम्मन एक ही अजनबी व्यक्ति को दिये गये। अपीलार्थी संख्या 1 बंशी लाल/विपक्षी को जारी नोटिस की पुश्त पर अंकित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है कि तामील उक्त के लडके को कराई गई है। इस प्रकार तामील कुनिन्दा ने यह अंकित नहीं किया है कि हस्ताक्षरित व्यक्ति का अपीलार्थी/विपक्षीगण के साथ निवास है व सभी व्यक्ति अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के साथ निवासरत है व सभी शामिल शरीक रहते हैं या तामील लेने वाला व्यक्ति संयुक्त परिवार का वयस्क पुरूष है इस बाबत कोई भी अंकन मौतबिरान की उपस्थिति मे नहीं किया गया है। इस प्रकार सम्मन का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण क पीठ पीछे व्यूहरचना बनाई गई जिसमें प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया सफल भी रही है। इस प्रकार मिथ्या प्रंयासों एवं तामील के आधार पर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही की गई है। जिससे अपीलार्थीगण/विपक्षीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीया ने दिनांक 15.1.2019 को तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट करवाये जाने का निवेदन किया, दिनांक 15.1.2019 की आदेशिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि पत्रावली पर अपीलाण्ट/विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो चुके थे एवं अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नहीं की गई थी तो ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की उपस्थिति मौका रिपोर्ट तैयार करते समय सुनिश्चित की जानी चाहिये थी। लेकिन पटवार हल्का सुरास द्वारा केवल मात्र स्वयं द्वारा मौका देखा गया और पटवार हल्का ने रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होते हुए भी किस प्रकार से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त रास्ते की नपती व अंकन मौके पर की यह कहीं पर भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है।

8. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का निवेदन है कि यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता निर्धारण हेतु मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार या भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा देखा जाना होता है। यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 में आज्ञापक रूप से वर्णित किया गया है । क्योंकि उपरोक्त मामले में सीमांकन का प्रकरण बनता है। और जरीब हमेशा बिना भू अभिलेख निरीक्षक की अनुमति के पटवार हल्का द्वारा नहीं चलाई जा सकती है। तो अपीलाधीन प्रकरण में पटवारी हल्का ने किस प्रकार से तत्कालीन रास्ते का सीमांकन किया व मौके पर्चे पर न तो प्रत्यर्थी/प्रार्थीया की उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है एवं न ही अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है। अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की मौका पर्चा बनाते समय उपस्थिति ही सुनिश्चित नहीं की गई थी। वास्तविकता तो यह है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के कहे अनुसार पटवार हल्का कार्यालय में ही बैठकर बनाई गई है। यदि पटवार हल्का मौके पर जाते तो जिस रास्ते का प्रस्तावित होना आराजी नम्बर 1624 में बताया गया है वह रास्ता किस रास्ते से मिलता हुआ प्रारंभ होता है, वह भी अपनी रिपोर्ट व नक्शे में अंकित किया जाता और आगे वह रास्ता कितने फिट का आ रहा है उसका अंकन किया जाता । इस प्रकार का कोई अंकन रिपोर्ट में नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थीया/प्रत्यर्थीया ने ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि उसका यह रास्ता आराजी संख्या 1636 से आ रहा है, जबकि पूरी रिपोर्ट में उपरोक्त आराजी का हवाला नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया गया है। साथ ही इसके अलावा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की जायदाद में सीमांकन करने से पूर्व अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को भी सूचना देनी चाहिये थी या रिपोर्ट बनाते समय उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर भी रिपोर्ट पर कराये जाते। उक्त रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार माण्डल की अथवा अन्य किसी भी गवाह की उपस्थिति नहीं दर्शायी गई है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के द्वारा जिस आराजियात बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह आराजियात प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया ने अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के भाई से खरीदी तथा मौके पर हर आराजियात में जाने हेतु रास्ता भी है जो लगभग 15 फिट से 20 फिट चौड़ा है, छोडा गया है। यह रास्ता आराजी नम्बर 1610 व 1612 के बीच में से होकर गुजरता है, जो प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजियात पर भी जाता था । प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के उपरोक्त आराजियात क्रय करने से पूर्व विक्रेता अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के भाई गणपत व मांगु द्वारा उपरोक्त रास्ते का उपयोग कर ही उनके खेत में कृषि कार्य सुचारू रूप से किया जाता था और इसी कारण आज दिनांक तक हमारे मध्य रास्ते को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं था। प्रत्यर्थी/प्रार्थीया को अपनी आराजी में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यह रास्ता अपीलार्थीगण/विपक्षीगण ने अपनी आराजियात में से ही दिया है। जिसको पटवार हल्का यदिमय अपीलार्थीगण/विपक्षीगण, भू अभिलेख निरीक्षक के मौके पर जाते तो अवश्य ही दिखाते । प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया ने अपनी आराजियात पर केवल मात्र सुविधा व सुगमता के लिए नये सिरे से दोहरा रास्ता कायम कराने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि वैकल्पिक रास्ता नहीं हो तभी उपरोक्त प्रावधानों के तहत रास्ते की मांग की जा सकती है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 16.2.2019 विधि के प्रावधानों से परे तैयार की गई थी।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवार हल्का द्वारा दोबारा मौका देखा गया । परन्तु बाद वाले मौका पर्चा में भी विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि में वांछित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की और पुनः केवल पटवार हल्का द्वारा ही अपनी पूर्व रिपोर्ट का हवाला देते हुए नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । पूर्व में तैयार सुदा रिपोर्ट में रास्ते के संबंध में यह कहीं अंकन नहीं किया गया था कि विकल्प में अन्य कोई रास्ता है या नहीं। यहॉ पर पटवार हल्का ने पत्रावली की कमी पूर्ति करने के लिए अन्त में एक सिंगल लाईन लिखकर केवल मात्र यह कथन कर दिया कि मौके पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। जबकि इस रिपोर्ट पर भी न तो पक्षकार के हस्ताक्षर है और न ही भू अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार माण्डल के ही हस्ताक्षर हैं। उक्त द्वितीय बार बनाई गई रिपोर्ट में यह कहीं अंकन नही है कि उक्त मौका किस तारीख को देखा गया । इसका तात्पर्य यही है कि द्वितीय बार बनाई गई रिपोर्ट भी पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे तैयार की है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से बिन्दुवार रिपोर्ट तलब की थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, गिरदावर को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्योंकि तहसीलदार माण्डल उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपने कार्य को अपने मातहत अधिकारी को डेलीगेट नहीं कर सकता है यह सर्वे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्य स्वयं को या भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा करने का आज्ञापक प्रावधान है। फिर भी पटवारी हल्का द्वारा जिस रास्ते का हवाला आराजी संख्या 1624 की दक्षिणी पूर्वी दिशा की मेड पर बताया गया है वह रास्ता एक गट्टा मौके पर है यानि की उपरोक्त स्थान मात्र 8 फिट का है और यह रास्ता नहीं होकर मौके पर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा छोडी गई पाली की जगह है जिससे वह अपनी आराजियात के चारों तरफ घुमकर अपनी फसल की देखभाल करता है। जिसमें प्रत्यर्थी/प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के मन में लोभ आ गया है कि वह अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की आराजियात में से रास्ता कायम करवा ले तो उसकी आराजियात की कीमत बढ जायेगी । जिसका उसे कोई अधिकार नही है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार से मामले को रचा गया इसकी प्रथमदृष्टया जानकारी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 16.5.2019 को तहसीलदार माण्डल द्वारा पटवार हल्का द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को प्रेषित किया गया उसी दिन उसी रिपोर्ट को रेकार्ड पर लेकर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 21.5.2019 को नियत कर दी गई। दिनांक 21.5.2019 को प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया की बहस सुनी और चूंकि बहस सुनने के पश्चात पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु आगामी दिनांक को नियत करनी थी लेकिन एक ही दिनांक को पत्रावली को आदेश हेतु नियत कर दिया और हस्ताक्षर होने के पश्चात पुनः उसी दिन नवीन फर्द अहकाम लिखी गई और निर्णय भी कर दिया। जिससे अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को इसकी जानकारी नहीं हो सके और वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलाधीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय की पालना में अपील अवधि गुजरने से पहले ही तुरता फुरती में प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया द्वारा राशि भी जमा करवा दी और राशि के ड्राफ्ट की तामील भी पक्षकारों को करवा दी । पक्षकारों द्वारा ड्राफ्ट की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थीया द्वारा जमा कराई गई राशि पुनः लौटाई जावे। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक एवं प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक 27.6.2019 के अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत करने का कथन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण 2017 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 299, आर आर टी 2017 (1) पेज 343, आर आर टी 2017 (2) पेज 1088, आर आर टी 2016–2017 (सप्लीमेण्ट्री) पेज 597, आर आर टी 2016 (1)पेज 649 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया

13. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को प्रोपर रूप से सम्मन की तामील हुई थी। बावजूद सूचना के विपक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के पास अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय द्वारा विधिक प्रकिया का पालन करते हुए रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे निर्धारित राशि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी प्रत्यर्थीया द्वारा अदा कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 27.9.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं इसी दिनांक को विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 नियत की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण को उक्त नोटिस दिनांक 27.9.2018 के जारी किये गये हैं। उक्त नोटिस में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 को कांट कर 15.1.2019 अंकित किया गया है। जबकि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 नियत थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 किस प्रकार किसके आदेश से अंकित की गई है एवं कांट –छाट किये जाने के फलस्वरूप हस्ताक्षर भी नही है। अधिनस्थ न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2018 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य से बाहर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.10.2018 नियत की गई है एवं दिनांक 30.10.2018 को भी पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य से बाहर होने से पुनः आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 नियत की गई है। ऐसी स्थिति में दिनांक 27.9.2018 को जारी नोटिस में तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 किस आधार पर किसके द्वारा अंकित की गई । इसके बारे में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कोई अंकन नही किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस विपक्षीगण पर किस तारीख को तामील हुए है इसका कोई अंकन सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा नहीं किया गया है। उक्त सम्मन का अवलोकन किया गया । श्रीमती गीता देवी पिता मथुरा का जारी सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया गया है कि तामील उक्त के भाई को दिया । उक्त नोटिस की पुश्त पर किसी समरथ के हस्ताक्षर किये गये हैं । विपक्षी गीता के समरथ के साथ क्या रिश्ता है यह तामील कुनिन्दा द्वारा अंकित नहीं किया गया है। उक्त नोटिस की पुश्त पर विपक्षी गीता के बारे में कोंई अंकन नहीं किया गया है कि गीता को ही नोटिस की तामील किस कारण से नही कराई जा सकी है। विपक्षी श्रवणी पत्नि मथुरा को जारी नोटिस की तामील में भी उक्त के पोता को दिया जाना उक्त नोटिस की पुश्त पर अंकित किया गया है। उक्त नोटिस की पुश्त पर भी समरथ के हस्ताक्षर हैं। जब गीता को जारी नोटिस उक्त के भाई समरथ को दिया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षीया श्रवणी का नोटिस लेते समय वही समरथ उदा उदा का पौता कैसे हो गया । उक्त श्रवणी का नोटिस पर भी उसी व्यक्ति समरथ द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। इसी प्रकार भागूति पिता मथुरा को जारी नोटिस की पुश्त पर भी समरथ के ही हस्ताक्षर हैं एवं इसमें समरथ को उदा के भाई के रूप में बताया गया है। विपक्षी बंशी लाल को जारी नोटिस पिता सार्दुल को जारी नोटिस की पुश्त पर भी समरथ के ही हस्ताक्षर हैं इसमें समरथ को उक्त का पुत्र बताया गया है। इस प्रकार समरथ को कभी तो उदा का पुत्र बताया गया है कभी उदा का भाई बताया गया है एवं कभी उदा का पोता दर्शाया गया है। इस प्रकार विपक्षीगण को जारी नोटिस किसी फर्जी व्यक्ति को तामील कराये गये हैं। जिससे अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नही हो पाई थी। जिससे वे अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हो पाये थे एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को जारी समम्न/नोटिस का अवलोकन भी नहीं किया गया एवं बिना किसी आधार के विपक्षीगण को नोटिस की तामील होना मानकर तारीख पेशी दिनांक 15.1.2019 को सम्मन को रेकार्ड पर ले लिया गया एवं तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु तहरीर जारी किये जाने का अंकन किया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.3.2019 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट की इंतजारी में प्रकरण को नियत किया गया । दिनांक 16.5.2019 को तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे रेकार्ड पर लिया गया ।

16. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दो मौका रिपोर्ट संलग्न है। जिसमें एक तो दिनांक 16.2.2019 को तैयार की गई है । उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरास द्वारा तैयार की गई है। दूसरी रिपोर्ट किस दिनांक को तैयार की गई इसका इस रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया गया है। उक्त दोनों रिपोर्ट तहसीलदार माण्डल के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता निर्धारण हेतु मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार या भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई जाना प्रतीत होती है। यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 में आज्ञापक रूप से वर्णित किया गया है । उसके बावजूद तहसीलदार माण्डल द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तैयार करवाई जाकर सीधे ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 में आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है।

17. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण के विचारण के दौरान समरी इन्क्वायरी या तो स्वयं के स्तर पर करनी चाहिये थी या फिर भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी से करवाई जानी चाहिये थी। भू अभिलेख स्तर से नीचे के स्तर के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नही कराई जा सकती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2018 (1) कालू राम बनाम भूप राम पेज 343 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत बने राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेण्ट) नियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधान के तहत एस डी ओ को या तो स्वयं अथवा अधिकारी जो भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे के स्तर का न हो से निरीक्षण कराना चाहिये । उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है।

18. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत बने राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेण्ट) नियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधान की पालना के तहत समरी इन्क्वायरी नहीं की गई है मौका रिपोर्ट भी विधि अनुसार तैयार करवाई जाकर रेकार्ड पर नहीं ली गई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो कि पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.5.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधाार पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तोवजों के आधार पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.9.19 को उपस्थित रहें।

20. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा